न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 13/2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
सवाईसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपूत निवासी नईवास समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत समदड़ी जरिये सरपंच 2. बुधसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी नईवास समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 23 मिसल सं. 251/2010 दिनांक 24.02.2011 जो अप्रार्थी सं. 2 बुधसिंह के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 07.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 23 दिनांक 24.02.11 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 28 [illegible] दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड मौजा समदड़ी की आबादी भूमि में आया हुआ हैं जिसके चारों तरफ प्रार्थी द्वारा बाउण्डरी वॉल बना रखी हैं। उक्त भूखण्ड नाप में पूर्व–पश्चिम 100 फीट, उत्तर–दक्षिण 35 फुट, जिसके उत्तर में मंगलसिंह पुत्र थानसिंह रावणा राजपूत, दक्षिण में बाबूसिंह पुत्र कल्याणसिंह, पूर्व में 10 फीट गली, पश्चिम में 20 फीट का आम रास्ता आया हुआ हैं। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के पूर्व में स्थित 10 फीट गली का प्रार्थी एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा उपयोग व उपभोग किया जा रहा हैं। अप्रार्थी सं. 2 का रहवासीय मकान उक्त 10 फीट की गली में आया हुआ है जिसने उक्त गली की 10 फीट भूमि हड़प करने के उद्देश्य से सरपंच ग्राम पंचायत से मिलावट कर षडयन्त्र के द्वारा अपने भूखण्ड में गली की भूमि को मिलाते हुए आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी सं. 2 एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा में ली गई खसरा नम्बर 611/342 रकबा 179–15 बीघा गैर मुमकीन पहाड़ एवं चारागाह हेतु दर्ज थी। राज्य सरकार के आदेश से नामान्तरकरण सं. 1980 दिनांक 22.06.2018 के द्वारा चारागाह शब्द को विलोपित किया गया एवं इसके पश्चात इस खसरे की 17–07 बीघा भूमि पर बसे अतिक्रमियों की सू[illegible] कर ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा उक्त भूमि को आबा[illegible] जिला कलक्टर बाड़मेर से निवेदन किया गया। इस पर जिला क[illegible]र बाड़मेर द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर आबादी हेतु संपरिवर्तन किया गया जिसका

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नामान्तरकरण सं. 1989 दिनांक 29.06.2018 पारित किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलावट कर उक्त चारागाह भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 07.12.2010 को आवेदन किया तथा दिनांक 19.12.2010 को आलौच्य पट्टा सं. 23 जारी करवा दिया। इस प्रकार ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जब आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तब उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की न होकर गैर मुमकीन चारागाह दर्ज थी। ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था तथा आलौच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई हैं।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही मात्र 13 दिन में ही पूर्ण कर ली गई हैं सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस सात दिवस जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145—155 में यथाविहित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाये बिना ही आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पुराने कब्जाशुदा गृह के सत्यापन हेतु मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट में किसी भी वार्ड पंच के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं इस पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं पत्रावली ग्राम पंचायत की आम बैठक में निर्णय एवं आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी आवश्यक होती है किन्तु आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली कभी ग्राम पंचायत की बैठक में नही रखी गई हैं। आलौच्य पट्टा में 10 फीट की सार्वजनिक गली को सम्मिलित करते [illegible] का विनियमितीकरण किया गया है जिससे प्रार्थी के [illegible] हित निहित होने के बावजूद उन्हे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विपरित जाकर जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 बुधसिंह के पक्ष में जारी किया गया पट्टा विलेख सं. 23 निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा सं. 23 दिनांक 24.02.11 विधि संगत रूप से जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही हैं। मौजा समदड़ी में विवादित रहवासीय कब्जाशुदा भूखण्ड आया हुआ हैं जिस पर अप्रार्थी सं. 2 का स्वामित्व एवं पुराना आधिपत्य चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण एवं अन्य के कब्जे के सम्बंन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे करवाया गया था तथा कुल 342 अतिक्रमियों की इस सर्वे सूची में प्रार्थी का पुराना कब्जा क्रम सं0 8 पर दर्ज हुआ हैं। इस आधार पर अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम की गई एवं विहित प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियमों के तहत सभी नियमों की पालना करते हुए दिनांक 24.02.11 को आलौच्य पट्टा नियम 157(1)(ख) के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के तहत जारी किया। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र गलत व निराधार एवं अप्रार्थी सं. 2 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया हैं जो व्यय सहित खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधि[illegible]न हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1)(ख) के तह[illegible]कि पुराने कब्जे के आधार पर विनियमितीकरण के तहत जारी किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से आलौच्य पट्टा कार्यवाही की प्राप्त पत्रावली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवलोकन किये जाने पर पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर समदड़ी में दिनांक 07.12.2010 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना–पत्र पर 13 दिन में कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 19.12.2010 को पट्टा जारी करने का निर्णय पारित कर लिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही 13 दिन में पूर्ण कर ली गई हैं जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने की अवधि सात दिवस किये जाने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये थे। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने की प्रक्रियात्मक अनियमितता के सम्बन्ध कोई गम्भीर त्रुटि होना नहीं पाया जाता हैं किन्तु जैसाकि अधिवक्ता ने दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ कथन किया हैं कि जिस दिन ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं उस दिन विवादित भूमि गैर मुमकीन चारागाह के रूप में दर्ज थी । उक्त चारागाह भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों के आवासीय कब्जे होने से ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे कराया जाकर भूमि को आबादी के रूप आवंटन करने का निवेदन किया गया। इस तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा 342 अतिक्रमियों के कब्जे की 17–10 बीघा भूमि आबादी के रूप में ग्राम पंचायत समदड़ी को आवंटित की गई। इस आवंटन के फलस्वरूप राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 1989 दिनांक 29.06.2018 स्वीकृत किया गया। इस प्रकार विधिवत रूप से उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व में दिनांक 29.06.2018 को दर्ज हुई हैं जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा दिनांक 24.02.2011 को जारी कर दिया गया हैं जो कि स्पष्ट रूप से अवैध हैं। इस [illegible] द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण के अन्तर्गत अवैध रूप से [illegible] पंचायत के स्वामित्व से परे चारागाह भूमि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नियम विरूद्ध कार्यवाही द्वारा आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा बैठक दिनांक 19.12.2010 के संकल्प सं. 4 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 23 दिनांक 24.02.2011 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested